न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/248

1. राधेश्याम आत्मज श्री गोविन्द लाल जाति धाकड ।
2. रामगोपाल आत्मज श्री गोविन्द लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्रसाद आत्मज श्री रामनारायण बैरागी जाति बैरागी निवासी ग्राम बढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उप जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.1986 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि आवंटन अधिकारी, उप जिला कलक्टर, कोटा ने रेस्पोडेन्ट कम 1 रामप्रसाद पुत्र रामनारायण को राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय सम्बन्धी) नियम, 1957 के अधीन ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 392 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 448 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा कुल 02 किता की 03 बीघा 19 बिस्वा भूमि दिनांक 27.02.1986 को कीमतन आवंटित की गई ।

3. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 448 हाल खसरा नम्बर 209 प्रार्थीगण की खातेदारी की गत खसरा नम्बर 186 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा का एक भाग है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर ने प्रार्थीगण को सूचना व सुनवाई का

अवसर दिये बिना उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में आवंटित कर दी । उक्त आवंटन आदेश से प्रार्थी के हक व अधिकार प्रभावित हुए हैं । प्रार्थी उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी अपीलान्ट ने अपीलाधीन आवंटन आदेश से अपने हित प्रभावित होने का कथन किया है तथा स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होने का भी कथन किया है । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आवंटन आदेश दिनांक 27.02.1986 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि कानूनन राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम व राजस्थान उपनिवेशन चम्बल प्रोजेक्ट आवंटन नियमों के तहत केवल सरकारी भूमियों का ही आवंटन किया जा सकता है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पर केचमेंट कार्य किया गया और केचमेंट के बाद नये खसरा नम्बर कायम कर उक्त भूमि का फर्द इन्खलाफ अपीलान्ट की खातेदारी का जारी कर मौके पर कब्जा भी सुपुर्द किया था किन्तु केचमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 448 की रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज कर दी जो दुरूस्ती की कार्यवाही में तहसीलदार उपनिवेशन दीगोद के निर्णय दिनांक 20.11.1991 से अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । इस प्रकार खसरा नम्बर 448 की रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जो कानूनन किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती । आवंटन से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.07.2014 जमाबन्दी की नकल निकलवाने पर और उसमें उक्त कृषि भूमि इंतकाल संख्या 344 दिनांक 03.07.2014 से रेस्पोडेन्ट की गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने का अंकन देखने पर अपीलान्ट दिनांक 16.07.2014 को पटवारी हल्का से मिले व उनके द्वारा जानकारी देने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2032–35 नकल फर्द इन्खलाफ, नकल खाता केचमेंट और तहसीलदार, दीगोद के द्वारा पटवारी हल्का को लिखा गया पत्र, नामान्तरकरण संख्या 36 की फोटो प्रति, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2043 से 2062, नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 नया खाता संख्या 108 पेश किये हैं । पेश किये दस्तावेजों में से नकल जमाबन्दी, नकल दर्फ इन्खलाफ, नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 व नकल मिलान क्षेत्रफल राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ है व प्रकरण से सम्बन्धित हैं । परन्तु तहसीलदार, दीगोद के द्वारा जारी पत्र न तो पूर्ण पढनीय है और न ही ही यह प्रमाणित प्रति है । नामान्तरकरण संख्या 36 भी प्रमाणित प्रति नहीं है । इस कारण इन दोनों दस्तावेजों के अलावा शेष दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेना उचित प्रतीत होता है । तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार कर इन दोनों दस्तावेजों के अलावा शेष दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टगण के खाते एवं कब्जे की आराजी अन्य खसरा नम्बरान के साथ–साथ खसरा नम्बर 186 की रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि ग्राम किशनगंज तहसील दीगोद में स्थित है । इसमें केचमेंट का कार्य किया गया और केचमेंट के उपरान्त इसके नये खसरा नम्बर446/1 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 447 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 448 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 449 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 450 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 451 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 452 रकबा 05 बिस्वा कायम किये गये परन्तु केचमेंट विभाग ने खसरा नम्बर 448 की रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज कर दी । सेटलमेंट होने पर इसके नये खसरा नम्बर 209 रकबा 0.45 हैक्टर कायम किये गये । अपीलान्टगण ने दुरूस्ती की कार्यवाही करवायी जिसमें तहसीलदार, उपनिवेशन के निर्णय दिनांक 20.11.1991 से आराजी को अपीलान्ट के खाते दर्ज करने का आदेश पारित किया और तहसीलदार, दीगोद के द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.01.1992 से आराजी अपीलान्ट के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये । इंतकाल दिनांक 15.01.1992 को संख्या 36 खोला जाकर भूमि अपीलान्ट के खाते में दर्ज की गई । रोस्पोडेन्ट के द्वारा इस आराजी को अपनी गैर खातेदारी में दर्ज करवा लिया गया तब यह जानकारी में आया है कि दिनांक 27.02.1986 को इसका आवंटन रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में किया गया है । आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा है, रस्पोडेन्ट का कभी भी इस पर कब्जा नहीं रहा है । मौके पर कब्जे की जॉच नहीं की गई है, रेस्पोडेन्ट को कभी भी दखल नहीं दिया गया है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा उस पर कभी भी काश्त नहीं की गई है । आवंटन खारिज होने योग्य है । पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 14.05.2014 में भी अपीलान्ट का कब्जा बताया गया *है । पूर्व में जो अपीलें हुई हैं उसमें अपीलान्ट का यह खसरा नम्बर शामिल नहीं है ।* आराजी को गलत रूप से आवंटन किया गया है । अपीलान्ट की जानकारी में आने पर अपील पेश की

है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 27.02.1986 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । पूर्व में भी अपील पेश की गई थी जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल तक चली और खारिज हो गयी । वादग्रस्त आराजी विधिक रूप से रेस्पोडेन्ट को आवंटित हुई है । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27.02.1986 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार, दीगोद द्वारा दिनांक 18.07.1995 को पटवारी हल्का को जारी पत्र, आवंटन आदेश दिनांक 27.02.1986 जिसके अनुसार रामप्रसाद रेस्पोडेन्ट कम 1 को खसरा नम्बर 448 की रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 392 की 01 बीघा 05 बिस्वा आराजी का आवंटन किया गया है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 12.08.1987 संलग्न है जिसमें बृजबिहारी के द्वारा इन दोनों खसरा नम्बरान के आवंटन के खिलाफ पेश की गई अपील को खारिज किया गया है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 19.04.1995 संलग्न है जिसमें इन दोनों खसरा नम्बरान के आवंटन के बाबत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के आदेश को बहाल रखा है और बृज बिहारी की अपील खारिज की गई है । तहसीलदार, दीगोद द्वारा पटवारी हल्का को जारी पत्र दिनांक 18.07.95 एवं 04.08.2005 उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को जारी पत्र दिनांक 09.02.2010, राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 29.05.2009 संलग्न है जिसमें खसरा नम्बर 392 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा के आवंटन के बाबत् कन्हैया लाल की अपील को खारिज किया गया है । तहसीलदार, दीगोद के द्वारा पटवारी हल्का को जारी पत्र दिनांक 08.05.2014 जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 14.05.2014 को रिपोर्ट की गई है । दखलनामा दिनांक 03.07.2014 संलग्न है ।

13. अपीलान्ट के द्वारा सन् 1986 में किये गये आवंटन आदेश के खिलाफ सन् 2014 में अपील पेश की है जो 28 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है एवं गंभीर रूप से अवधि बाधित है । धारा 05 मियाद अधिनियम में पटवारी हल्का के द्वारा जानकारी देने पर निर्णय की जानकारी होना बताया गया है । 28 वर्षों तक उनके द्वारा अपने खाते की नकल प्राप्त नहीं की गई यह तथ्य तार्किक प्रतीत नहीं होता है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पूर्व में जो अपील बृजबिहारी पुत्र कन्हैया लाल के द्वारा पेश की गई है वह खसरा नम्बर 392 और 448 के बाबत् पेश की गई थी जो खारिज हो चुकी हैं ।

14. अपीलान्टगण का यह कथन है कि केचमेंट के दौरान उनके खाते की आराजी को कम करके सिवायचक दर्ज किया गया था और उसके उपरान्त तहसीलदार, उपनिवेशन दीगोद के द्वारा दिनांक 20.11.1991 को निर्णय पारित किया गया परन्तु यह 20.11.1991 का निर्णय पत्रावली पर संलग्न नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में और अपील में जो तहसीलदार, दीगोद

का पत्र पेश किया गया है वह तहसीलदार उपनिवेशन का न होकर तहसीलदार दीगोद का है और यह दिनाक 07.01.1992 को पटवारी हल्का को लिखा जाना प्रतीत होता है । तहसीलदार को केचमेंट के दौरान सिवायचक दर्ज की गई आराजी को किसी व्यक्ति के खाते में दर्ज करने का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है और पेश की गई फोटो प्रति पटवारी हल्का को लिखा गया पत्र है । कानूनन न्यायिक आदेश नहीं हैं । इसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त आराजी विधिक रूप से अपीलान्ट के खाते में दर्ज करने के आदेश हुए थे ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अतिरिक्त जिलाधीश, सीएडी के सूचना पत्र दिनांक 20.06.1984 की फोटो प्रति संलग्न है जो तहसीलदार, सीएडी को जारी किया गया है । इसमें राधेश्याम, रामगोपाल पिसरान गोबरी लाल एवं कस्तूरी बेवा गोविन्द लाल को खसरा नम्बर 448 के बारे में सूचना करने का नोटिस है । अपीलान्ट के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अतिरिक्त जिलाधीश सीएडी के न्यायालय से इसके उपरान्त क्या आदेश पारित किया गया । यदि केचमेंट में अपीलान्ट की कोई आराजी कम हुई है तो उसके बाबत् आपत्ति केचमेंट के सक्षम अधिकारी के समक्ष ही पेश की जा सकती है । तद्नुसार अपीलान्ट केचमेंट के सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश करने के लिए स्वतंत्र है । सन् 1986 में किये गये आवंटन के विरूद्ध अपीलान्ट की अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने व सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण पर भी सारहीन होने खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 27.02.1986 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट अपने रकबे की पूर्ति हेतु केचमेंट के सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं ।

17. निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा